कार्यालय संचालक
सुपरस्पेशलिटी हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज जबलपुर

क्रमांक /स्था./राज/23/591 जबलपुर, दिनांक 02/03/2023

//विज्ञप्ति सूचना//

म.प्र. शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन कमांक एफ 2–57/2018/55–1 दिनांक 06/08/2018 द्वारा जारी मध्यप्रदेश सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल चिकित्सा शिक्षक आदर्श सेवा नियम, 2018 के अंतर्गत संचालनालय चिकित्सा शिक्षा म.प्र. के पत्र कमांक 1324/स्था/राज/2020 दिनांक 17/12/2020 एवं पत्र कमांक/155/स्था/राज/संचिशि/2023, भोपाल दिनांकः–09/02/2023 के अनुसार,स्वशासी चिकित्सा महावद्यिालय (अपग्रेडेड न्यूरोसर्जरी विभाग) जबलपुर के अधीन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्ल्भ भवन भोपाल के राजपत्र कमाक एफ–07–25–2019–आ.प्र.–एक–म.प्र. लोक सेवा अधिनियम 1994 (कमांक 21 सन 1994) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण)नियम 1998 में संशोधन दिनांक 19/08/2019 के अनुसार स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर (अपग्रेडेड न्यूरोसर्जरी विभाग) के रिक्त पदों को माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अध्याधीन सीधीभर्ती द्वारा राज्य स्तरीय रोस्टर का पालन करते हुये प्राध्यापक, सह–प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, के पदों की पूर्ति की जाना है ऐसे अभ्यार्थियों से जो कि शासन/एनएमसी द्वारा निहित अर्हताएं पूर्ति करते हों इस हेतु आवेदन पत्र कार्यालय संचालक,सुपरस्पेशिलिटी हॉस्पिटल ने.सु.च.बोस चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर में दिनांकः–27/03/2023 सायं 5:30 बजे तक आमंत्रित किये जाते है। आवेदक शुल्कः–अनारक्षित श्रेणी से 2000/– तथा आरक्षित श्रेणी अ.जा, अ.ज.जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार से 1500/– है। आवेदक आवेदन पत्र हेतु निम्नानुसार अधिष्ठाता नेताजी सुभाष चन्द्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर के खाते में जमा कर उसकी रसीद आवेदन पत्र के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न करें ।

Account Details A/c Holder:- CEO/Dean N.S.C.B. Medical College Jabalpur, Bank Name State Bank of India Medical College Branch A/c No. 10080132574. IFSC Code:- SBIN0001445.

1. उपरोक्त विज्ञापन की जानकारी एवं आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर मध्यप्रदेश की वेबसाईट **www.nscbmc.ac.in** पर उपलब्ध है ।
2. आवेदन पत्र डाक या ईमेल (nscbsuperspecialityjbp@gmail.com) द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से कार्यालय संचालक, चतुर्थ तल, सुपरस्पेशिलिटी हॉस्पिटल ने.सु.च.बोस चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर में जमा कराये जा सकते हैं।
3. साक्षात्कार की संभावित तिथि 10/04/2023 को निर्धारित की गई एवं इस हेतु पात्र उम्मीदवारों की सूची महाविद्यालय की वेबसाईट पर जारी की जावेगी तथा ईमेल द्वारा भी सूचित किया जायेगा।

(संभागायुक्त महोदय जबलपुर द्वारा अनुमोदित)

Harsh

संचालक
सुपरस्पेशलिटी हॉस्पिटल
मेडिकल कॉलेज जबलपुर

SUPER SPECIALITY HOSPITAL
NSCB MEDICAL COLLEGE JABALPUR

Scanned with CamScanner

कार्यालय संचालक :: सुपरस्पेशलिटी हॉस्पिटल
मेडिकल कॉलेज जबलपुर

क्रमांक/स्था/राज/2023 /591 जबलपुर दिनाक 02/03/2023

विज्ञप्ति

म.प्र.शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग,मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन कमांक एफ 2–57/2018/55–1 दिनांक 06/08/2018 द्वारा जारी मध्यप्रदेश सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल चिकित्सा शिक्षक आदर्श सेवा नियम, 2018 के अंतर्गत संचालनालय चिकित्सा शिक्षा म.प्र. के पत्र कमांक 1324/स्था/राज/2020 दिनांक 17/12/2020 एवं पत्र कमांक/155/स्था/राज/संचिशि/2023, भोपाल दिनांकः–09/02/2023 के अनुसार, स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय (अपग्रेडेड न्यूरोसर्जरी विभाग) जबलपुर के अधीन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के राजपत्र कमाक एफ–07–25–2019–आ.प्र.–एक–म.प्र. लोक सेवा अधिनियम 1994 (कमांक 21 सन 1994) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) नियम 1998 में संशोधन दिनांक 19/08/2019 के अनुसार स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर (अपग्रेडेड न्यूरोसर्जरी विभाग) के रिक्त पदों को माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अध्याधीन सीधीभर्ती द्वारा राज्य स्तरीय रोस्टर का पालन करते हुये प्राध्यापक, सह–प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, के रिक्त पदों की पूर्ति की जाना है। ऐसे अभ्यार्थियों से जो कि शासन/एनएमसी द्वारा निहित अर्हताएं पूर्ति करते हों इस हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाते है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि–27/03/2023, सांय 05:30 बजे तक कार्यालय संचालक, चर्तुथ तल, सुपरसपेशिलिटी हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज जबलपुर में है।

(प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक,)

S.No	NAME OF POST	PROFESSOR					
		UR	EWS	OBC	ST	SC	TOTAL
1	Professor Neuro Radiology	01	-	-	-	-	01
2	Professor Neuro Anaesthesia	01	-	-	-	-	01
	Total	**02**					**02**
S.No	**NAME OF POST**	**ASSOCIATE PROFESSOR**					
		UR	EWS	OBC	ST	SC	TOTAL
1	Associate Professor Neuro Radiology	01	-	-	-	-	01
2	Associate Professor Neuro Anaesthesia	01	-	-	-	-	01
	Total	**02**	**-**	**-**	**-**	**-**	**02**
S.No	**NAME OF POST**	**ASSISTANT PROFESSOR**					
		UR	EWS	OBC	ST	SC	TOTAL
1	Assistant Professor Neuro Radiology	-	-	01 (Backlog)	-	-	01
2	Assistant Professor Neuro Anaesthesia	01	-	01	-	-	02
3	Assistant Professor Neuro Pathology	01	-	01	-	-	02
	Total	**02**		**03**			**05**

उपरोक्त चिन्हित पदों मे OBC = अन्य पिछड़ा वर्ग, ST = अनसूचित जनजाति, SC = अनसूचित जाति, EWS= आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवार हेतु आरक्षित है ।

1. पदों की संख्या अधिक/कम की जा सकती है ।
2. भर्ती की प्रक्रिया एवं सेवा शर्ते की विस्तृत जानकारी एवं आवेदन का प्रारूप चिकित्सा महाविद्यालय की वेबसाईट www.nscbmc.ac.in पर उपलब्ध है ।
3. विज्ञापित पदों के आरक्षण एवं नियुक्ति संबंधी समीचिन नियमों एवं भविष्य में नियुक्तियों के संबंध में अन्यथा लिये गए शासकीय निर्णय के अधीन नियुक्ति/पदोन्नतिया रहेंगी, एवं अभ्यर्थी नियुक्ति निरस्त होने की दशा में नियुक्ति के संबंध में अधिकार के रूप में मांग नहीं कर सकेगें।
4. साक्षात्कार की संभावित दिनांक- 10/04/2023 को निर्धारित की गई है एवं इस हेतु पात्र उम्मीदवारो की सूची महाविद्यालय की वेबसाईट पर जारी की जावेगी तथा ईमेल द्वारा भी सूचित किया जायेगा ।

(संभागायुक्त महोदय जबलपुर द्वारा अनुमोदित)

संचालक
सुपरस्पेशलिटी हॉस्पिटल
मेडिकल कॉलेज जबलपुर

DIRECTOR
SUPER SPECIALITY HOSPITAL
NSCB MEDICAL COLLEGE JABALPUR

Scanned with CamScanner

अपग्रेडेड न्यूरोसर्जरी विभाग जबलपुर में सीधीभर्ती द्वारा प्राध्यापक/सह–प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक के पदों की पूर्ति संबंधी विवरण

1. वेतनमान – नियमित नियुक्ति हेतु (चिकित्सा शिक्षक संवर्ग हेतु)
   1. प्राध्यापक – 3.00 लाख रूपये (प्रतिमाह निश्चित वेतन)
   2. सह–प्राध्यापक – 2.50 लाख रूपये (प्रतिमाह निश्चित वेतन)
   3. सहायक प्राध्यापक – 1.50 लाख रूपये (प्रतिमाह निश्चित वेतन)

टीप – वार्षिक वेतनवृद्धि 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष देय होगी ।

प्राध्यापक पद हेतु आयु सीमा – न्यूनतम 35 वर्ष – अधिकतम – 62 वर्ष
सह प्राध्यापक पद हेतु आयु सीमा – न्यूनतम 30 वर्ष – अधिकतम – 62 वर्ष
सहायक प्राध्यापक पद हेतु आयु सीमा – न्यूनतम 25 वर्ष – अधिकतम – 62 वर्ष

टीप – आयु की गणना विज्ञापन जारी होने वाली तिथि के पश्चात आने वाली 01 जनवरी के दिनांक को आधार मानकर गणना में ली जावेगी।

2. पदो पर आरक्षण राज्य शासन के द्वारा समय समय पर जारी आदेशों के अनुसार होगा ।
3. जाति प्रमाण पत्र : आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जायेगा।
4. अर्हताये :–

स.क.	अनुसूची 1 का स.क.	पदनाम	न्यूनतम आयु सीमा	शैक्षणिक अर्हताएं	अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6
1	1	प्राध्यापक	35 वर्ष	राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा चिकित्सा संस्थानों में अध्यापकों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता विनियमावली (TEQ) के अनुसार संबंधित विषय में अति विशेषज्ञताएं (superspeciality) हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, अध्यापन एवं अनुसंधान अनुभव के अनुसार।	स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा निर्धारित अतिरिक्त अर्हता।
2	2	सह प्राध्यापक	30 वर्ष	राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा चिकित्सा संस्थानों में अध्यापकों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता विनियमावली (TEQ) के अनुसार संबंधित विषय में अति विशेषज्ञताएं (superspeciality) हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, अध्यापन एवं अनुसंधान अनुभव के अनुसार।	
3	3	सहायक प्राध्यापक	25 वर्ष	राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा चिकित्सा संस्थानों में अध्यापकों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता विनियमावली (TEQ) के अनुसार संबंधित विषय में अति विशेषज्ञताएं (superspeciality) हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, अध्यापन एवं अनुसंधान अनुभव के अनुसार।	

टीपः-

1. अनुसूची के कालम में उल्लेखित अर्हताओं में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा परिवर्तन किए जाने पर तदानुसार परिवर्तित अर्हताए स्वयं ही लागू होगी।

DIRECTOR
SUPER SPECIALITY HOSPITAL
NSCB MEDICAL COLLEGE JABALPUR

Scanned with CamScanner

साधिकार समिति समय-समय पर संकल्प पारित कर पद विशेष के लिए अतिरिक्त अथवा अन्य दोनो अर्हताए निर्धारित कर सकेगी ।

3. अन्य योग्यताएं जोकि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा शैक्षणिक पद विशेष के लिए निर्धारित अर्हता।

4. न्यूरोपैथोलॉजी के पदो के लिए डीएम न्यूरोपैथोलॉजी वाले उम्मीदवार अथवा एमडी/डीएनबी पैथोलॉजी के साथ न्यूरोपैथोलॉजी में 03 वर्ष के अनुभव वाले उम्मीदवार पात्र होंगे। **(भारत का राजपत्र नं. CG-DL-E-23022022-233681 असाधारण भाग 3 खंड 4, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग की अधिसूचना,नई दिल्ली, 14 फरवरी 2022 के अंतर्गत चिकित्सा संस्थानों में शिक्षक पात्रता योग्यता विनियम 2022 का तालिका 03 ख, पृश्ठ कमांक 09 एवं 10)**

6. निरर्हतायें–

- विकृत चित्त वाला होने पर।
- दुश्चरित्र होने पर।
- शारीरिक दुर्बलता के कारण व्यक्ति अपने कर्तव्य बोध एवं दायित्व को पूरा नहीं कर सकता हो।
- नियुक्ति के लिये प्रयास/अनुशंसा – किसी भी उम्मीदवार की ओर से अपनी उम्मीदवारी की सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी जरिये से किया गया कोई भी प्रयास/अनुशंसा उसके लिये अनर्हकारी माना जायेगा।
- विवाह संबंधी – जिस उम्मीदवार ने न्यूनतम निर्धारित आयु (पुरूष वर्ग के लिये 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिये 18 वर्ष) से पूर्व विवाह कर लिया होगा उसे इन पदों पर चयन हेतु अयोग्य माना जायेगा। कोई भी ऐसे महिला/पुरूष उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे पुरूष/महिला से विवाह किया हो, जिसकी पहले से जीवित पत्नी/पति हो, ऐसे महिला/पुरूष नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे।
- कूट रचित/फर्जी दस्तावेज एवं चयन के स्तर पर जानकारी छिपाये जाने/अभिलेख फेरबदल कर प्रस्तुत करने पर।
- कदाचरण संबंधी – किसी भी ऐसे उम्मीदवार को नियुक्त नहीं किया जावेगा, यदि उसने शासन या स्थानीय प्राधिकारी की सेवा के कदाचरण के लिये परिणामस्वरूप पदच्युत कर दिया गया हो यदि उसे नैतिक पतन के अपराध पर दोष सिद्ध ठहराया गया हो।
- ऐसा उम्मीदवार जिसके विरूद्ध नैतिक पतन का आपराधिक प्रकरण न्यायालय मे विचाराधीन है अथवा वह नैतिक पतन के आपराधिक मामले में दोष सिद्ध हुआ हो।
- स्वास्थ्य संबंधी – चिकित्सा महाविद्यालय के चिकित्सक जिसका पद सिविल सर्जन से कम न हो, के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण पश्चात् शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ पाया जाए तथा वह ऐसा प्रमाण पत्र जारी करें।

7. भर्ती की प्रकिया

7.1 रिक्त पदों की पूर्ति के लिए साधिकार समिति विज्ञप्ति जारी करते हुए पारदर्शी प्रकिया अपनायेगी।

7.2 रिक्त पदों की पूर्ति के लिए साधिकार समिति यथावश्यक लिखित परीक्षा अथवा साक्षात्कार अथवा दोनो नियत कर सकेगी।

7.3 चयन समिति मैरिट के आधार पर एवं मैरिट कम अभ्यर्थियों के चयन हेतु अनुशंसा देगी ओर तथानुसार वरीयताकम में नियुक्ति की जा सकेगी। मेरिट सूची बनाने हेतु उपयोग किये जाने वाले तालिका का निर्धारित प्रारूप स्वशासी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर म. प्र. की वेबसाईट www.nscbmc.ac.in पर उपलब्ध है ।

7.4 महाविद्यालय में सेवारत अर्हताधारी व्यक्ति रिक्त पद के विरूद्ध आवेदन देने के लिए स्वतंत्र होगा और ऐसे आवेदन के लिए उसे नियोक्ता से अनापत्ति नहीं लेना होगी।

7.5 महाविद्यालय में सेवारत व्यक्ति का अनुसूची –01 मे विनिर्दिष्ट किसी पद के विरूद्ध चयन किये जाने की दशा मे ऐसे व्यक्ति द्वारा महाविद्यालय मे की पूर्व सेवा एव वेतनभत्तों का संज्ञान नहीं लिया जायेगा।

7.6 किसी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय मे सेवारत अथवा अन्यत्र शासकीय सेवा मे कार्यरत व्यक्ति को नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा एवं सुपर स्पेशलिटी अस्पताल मे कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व चिकित्सा महाविद्यालय/शासकीय सेवा से त्यागपत्र देना होगा।

8. सेवाशर्ते

8.1 चिकित्सा शिक्षक के लिये निजी व्यवसाय (प्राईवेट प्रेक्टिस) पूर्णतः निषेध होगा।

8.2 प्राध्यापक, सह–प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक के वार्षिक वेतनवृद्धि 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष देय होगी ।

8.3 भ्रमण पर यात्रा भत्ता एंव दैनिक भत्ता राज्य शासन के प्रथम श्रेणी अधिकारी की पात्रतानुसार देय होगा।

8.4 विषय विशेष में रिसर्च पेपर प्रस्तुत करने हेतु वर्ष में दो बार देश के भीतर तथा एक बार देश के बाहर वायूयान किराया, दैनिक भत्ता, एवं वर्कशॉप/सेमीनार शुल्क दिया जायेगा।

DIRECTOR
SUPER SPECIALITY HOSPITAL
NSCB MEDICAL COLLEGE JABALPUR

Scanned with CamScanner

8.5 निःशुल्क आवास सुविधा प्रदाय की जायेगी । निःशुल्क आवास सुविधा प्रदाय करने तक राज्य शासन के प्रथम श्रेणी की भांति ग्रह भाड़ा भत्ता दिया जायेगा जो महाविद्यालय द्वारा आवास सुविधा प्रदाय (Offer) की जाने की तिथि से स्वयंमेव बंद हो जायेगा ।

8.6 सुपर स्पेशलिटी चिकित्सक को उपरोक्त उल्लेखित एक मुश्त वेतन के अतिरिक्त कार्यधारति निम्न परिश्रमिक दिया जायेगा :-

(अ) चिकित्सा शिक्षक द्वारा की गई शल्य चिकित्सा तथा इन्टरवीन्शन उपचार/अनुसंधान से प्राप्त राजस्व का 20 प्रतिशत या समय समय पर शासन द्वारा जारी निर्देशानुसार ।

(ब) चिकित्सा शिक्षक द्वारा Paid OPD में देखे गए मरीज से प्राप्त राजस्व का 50 प्रतिशत।

8.7 चिकित्सा शिक्षक को 01 वर्ष की सेवा देने के लिए बंधपत्र प्रस्तुत करना होगा 01 वर्ष के पूर्व सेवा छोड़ने की दशा मे छः माह का वेतन सुपर स्पेशलिटी अस्पताल मे जमा करना होगा।

8.8 साधिकार समिति चिकित्सा शिक्षक को 4 माह के वेतन के समतुल्य राशि देकर बिना किसी कारण बताये सेवा समाप्त कर सकेगी।

8.9 अवकाश, आचरण, एंव अर्धवार्षिकीय आयु के संबंध मे म.प्र. स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयीन शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम 2018 लागू होंगे। शेष जो शर्ते मध्यप्रदेश सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चिकित्सा शिक्षक आदर्श सेवा नियम 2018 में निहित हैं वे लागू होंगी। जिनका अवलोकन संचालक चिकित्सा शिक्षा म.प्र. /नेताजी सुभाष चन्द्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर की वेबसाईट www.nscbmc.ac.in पर किया जा सकता है।

9. आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि :- कार्यालय संचालक, चतुर्थ तल, सुपरस्पेशिलिटी हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज नेताजी सुभाष चन्द्र बोस चिकित्सा महविद्यालय जबलपुर में आवेदन पत्र दिनांकः-27/03/2023 सायंकाल 5:30 बजे तक प्राप्त हो जाना चाहिए। आवेदन पत्र डाक या ईमेल (nscbsuperspecialityjbp@gmail.com) द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से कार्यालय संचालक, चतुर्थ तल, सुपरस्पेशिलिटी हॉस्पिटल ने.सु.च.बोस चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर में जमा कराये जा सकते हैं। आवेदन पत्र के लिफाफे पर स्पष्ट रूप से (अपग्रेडेड न्यूरोसार्जरी विभाग) नेताजी सुभाष चन्द्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर में संवर्ग हेतु आवेदन एवं विषय तथा आवेदित पद का नाम एवं श्रेणी का उल्लेख अनिवार्य रूप से करें। किसी भी स्थिति में निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।

10. आवेदक शुल्कः- अनारक्षित श्रेणी से 2000/- तथा आरक्षित श्रेणी अ.जा, अ.ज.जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार से 1500/- है। आवेदक आवेदन पत्र हेतु निम्नानुसार अधिष्ठाता नेताजी सुभाष चन्द्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर के खाते में जमा कर उसकी रसीद आवेदन पत्र के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न करें ।

Account Details A/c Holder:- CEO/Dean N.S.C.B. Medical College Jabalpur, Bank Name State Bank of India Medical College Branch A/c No. 10080132574. IFSC Code:-SBIN0001445.

11. चयन प्रकिया हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

12. नियुक्ति संबंधी समीचिन नियमों एवं भविष्य में नियुक्तियों के संबंध में अन्यथा लिये गए शासकीय निर्णय के अधीन नियुक्तियां/पदोन्नतियां रहेंगी, एवं अभ्यर्थी नियुक्ति निरस्त होने की दशा में नियुक्ति के संबंध में अधिकार के रूप में मांग नहीं कर सकेंगे।

13. उपरोक्त विज्ञापन की जानकारी, आवेदन पत्र एवं मेरिट सूची बनाने हेतु उपयोग किये जाने वाले तालिका का निर्धारित प्रारूप स्वशासी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर म.प्र. की वेबसाईट www.nscbmc.ac.in पर उपलब्ध है ।

14 उक्त नियुक्तियों मे विवाद की स्थिति में न्यायालयीन कार्य क्षेत्र माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर होगा एवं होने वाली नियुक्तियों मे यदि माननीय न्यायालय कोई निर्देश जारी करता है तो प्रकरण में पारित अंतिम निर्णय सर्वोमान्य होगा।

महत्वपूर्ण टीप :- यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे अपने आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हतायें और शर्तो को पूरा करते है। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं करे ले और अर्हता की समस्त शर्ते पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरे। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जायेगी। आवेदक के विरूद्ध पुलिस प्रकरण अथवा किसी भी प्रकार की जांच न हो जिसके कारण आवेदक की नियुक्ति प्रभावित होती हो, इस आशय से संबंधित घोषणा पत्र जो की आवेदन के प्रारूप में दिया गया है। यह शर्त भी उसमें समाहित रहेगी। बिंदु क्र. 06 के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्यः है।

(संभागायुक्त महोदय जबलपुर द्वारा अनुमोदित)

संचालक
सुपरस्पेशलिटी हॉस्पिटल
मेडिकल कॉलेज जबलपुर

Scanned with CamScanner